



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2053]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936

No. 2053]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2014

**का.आ. 2597(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4ए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“4ए	102ए	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर तादुबी पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाओमाता, उखरूल, फिच कार्नर, कसोम खुलेन, कंपांग को जोड़ने वाला और रारा-102 के साथ तेंगनूपाल के निकट अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/12/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1522(अ) तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2014

**S.O. 2597(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 4A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
4A	102A	The highway starting from its junction with NH 2 at Tadubi connecting Paomata, Ukhrul, Finch corner, Kasom Khullen, Kampang and terminating at its junction with NH 102 near Tengnoupal in the State of Manipur.

[F. No. NH-14012/12/2013-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

**Footnote:** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522(E), dated 13th June, 2014.